महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – अंठानवां संस्करण (माह फरवरी, 2026)

''पहल'' के इस संस्करण में ....

1. अपनी बात ....
2. मॉडल यूथ ग्राम सभा पुरस्कार कार्यक्रम–नई दिल्ली
3. बाजार एवं मेला फीस के माध्यम से ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय बढ़ाया जाना
4. आजीविका मिशन से बदलती गांवो की तस्वीर
5. ग्राम पंचायत है पर्यावरण की पाठशाला
6. प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना बेहतर क्रियान्वयन की अनुकरणीय पहल
7. बर्तन निर्माण से हुई आय में वृद्धि
8. मुर्गीपालन से हुई आय में वृद्धि
9. सहायक नदियां (काव्य रचना)

प्रकाशन समिति	
संरक्षक एवं मार्गदर्शक श्रीमती दीपाली रस्तोगी (IAS) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	**प्रधान संपादक** श्री अरविन्द यादव, संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर
सह संपादक श्री एस.के. सचान, उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर	

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का 98वां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2026 का द्वितीय मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में राष्ट्रीय स्तर पर एकलव्य विद्यालय, रामपुर छापर, जबलपुर (म.प्र) को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। जिसे **''मॉडल यूथ ग्राम सभा पुरस्कार कार्यक्रम–नई दिल्ली''** समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

इसके साथ–साथ संस्करण में **''बाजार एवं मेला फीस के माध्यम से ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय बढ़ाया जाना'', ''आजीविका मिशन से बदलती गांवो की तस्वीर'', ''ग्राम पंचायत है पर्यावरण की पाठशाला'', ''प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना बेहतर क्रियान्वयन की अनुकरणीय पहल'', ''बर्तन निर्माण से हुई आय में वृद्धि'', ''मुर्गीपालन से हुई आय में वृद्धि''** केस स्टडी, सफलता की कहानियां एवं **''सहायक नदियां (काव्य रचना)''** को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

अरविन्द यादव
संचालक

मॉडल यूथ ग्राम सभा पुरस्कार कार्यक्रम–नई दिल्ली

मॉडल यूथ ग्राम सभा कार्यक्रम को पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तैंयार किया गया जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली से परिचित कराना तथा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करना है तथा विधार्थियों द्वारा रोल प्ले के माध्यम से लोकतंत्र की प्रक्रिया को समझ कर चर्चा–परिचर्चा के द्वारा निर्णय लेने की क्षमताओं एवं प्रक्रियाओं को समझना है। इस पहल के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर मॉडल यूथ ग्राम सभा आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, सहभागिता एवं स्थानीय स्वशासन की समझ विकसित करना प्रमुख लक्ष्य था एवं इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों में ग्राम सभा की परिकल्पना की समझ विकसित करना उद्देश्य रहा। इसी क्रम में देश भर के विभिन्न 619, नवोदय विधालय एवं 200, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, महाराष्ट्र राज्य के 172 जिला पंचायत स्कूल एवं कर्नाटक राज्य स्तरीय के 315 शासकीय स्कूल जिसमें कुल– 28773 विधार्थियों ने भाग लिया, यह कार्यक्रम नवोदय विधालय एवं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों के बच्चो में ग्राम सभा की परिकल्पना की समझ को तैयार करने वाला कार्यक्रम रहा।

मॉडल यूथ ग्राम सभा कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के निर्देश श्री विपुल उज्जवल कार्यक्रम निर्देशक पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान किये गये, जिसके पश्चात् महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, (म.प्र) अधारताल, जबलपुर के संचालक महोदय श्री अरविन्द यादव, उपसंचालक (प्रशिक्षण) श्रीमती माधुरी शर्मा, उपसंचालक (प्रशासन) श्री अश्विनी कुमार अम्बर, उपसंचालक (समन्वय) श्री शैलेन्द्र कुमार सचान के मार्गदर्शन में इस कार्यक्र के रूपरेखा तैयार की गई तथा इसी उद्देश्य से महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, मध्य प्रदेश के संकाय सदस्य श्री अभिषेक नागवंशी को राज्य समन्वयक तथा

राष्ट्रीय प्रशिक्षक के रूप में, श्री प्रकाश कड़वे, ईटीसी, भोपाल श्री झनक सिंह कुहकुटे, ईटीसी नौगांव छतरपुर एवं एनआईआरडी एंड पी आर के कंसलटेंटस श्री अमित आठ्या, श्री नवीन शिवा, श्री राजकुमार मालवीय, श्री जयप्रकाश सूर्यवंशी को हैदराबाद मे प्रशिक्षित किया गया तथा उनके द्वारा विभिन्न नवोदय स्कूल (उज्जैन, ईन्दौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सिवनी) एवं एकलव्य मॉडल स्कूल (जबलपुर, इंदौर) को सेन्टर बनाकर नामित राष्ट्रीय प्रशिक्षक द्वारा स्कूल के शिक्षको को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना निर्धारित किया गया।

इसी क्रम में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, पीटीजी, जबलपुर में दिनांक 27/09/2025 को किया गया, जिसमें विभिन्न एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल शिक्षकों ने सहभागिता की। इस प्रशिक्षण के हेतु एन आई आर डी एंड पी आर के कंसलटेट श्री अमित आठ्या, श्री नवीन शिवा एवं श्री दीपक कुमार विश्वकर्मा (कम्प्यूटर ऑपरेटर) के द्वारा प्रतिभागी शिक्षकों को ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, विभिन्न पदों की भूमिकाएँ, कार्यप्रणाली तथा निर्णय प्रक्रिया के व्यावहारिक पक्षों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण उपरांत सभी प्रशिक्षुओं ने एक मॉक ग्राम सभा में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ–साथ व्यवहारिक अनुभव भी प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण की सफल समाप्ति पर सभी प्रतिभागी शिक्षकों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में एकलव्य मॉडल विद्यालय के दो शिक्षक– श्री राज रौशन (टीजीटी, सामाजिक विज्ञान) एवं श्री अभिषेक त्रिपाठी (टीजीटी, सामाजिक विज्ञान) ने भाग लिया और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के पश्चात सभी EMRS को अपने–अपने विद्यालयों में मॉडल यूथ ग्राम सभा के आयोजन का निर्देश दिया गया।

मूल्यांकन की दृष्टि से सभी विद्यालयों को चार जोनों में विभाजित किया गया, जिसमें एकलव्य मॉडल विद्यालय जोन जबलपुर में सम्मिलित किया गया। निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार एकलव्य मॉडल विद्यालय में मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन 24 नवम्बर 2025 को सफलतापूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा 9वीं एवं 11वीं के कुल 30 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने ग्राम सभा के विभिन्न दायित्वपूर्ण भूमिकाएँ जैसे सरपंच, सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य, विद्यालय प्रधानाध्यापक, जनजातीय महिला, सामाजिक कार्यकर्ता आदि का निर्वहन करते हुए स्थानीय समस्याओं, विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सरोकारों पर सारगर्भित चर्चा की।

आयोजित ग्राम सभा की संपूर्ण प्रक्रिया का वीडियो तैयार कर निर्धारित लिंक पर मूल्यांकन हेतु अपलोड किया गया। इसी क्रम मे एकलव्य मॉडल विद्यालय, रामपुर छापर जबलपुर ने जोनल तथा राज्य स्तरीय मूल्यांकन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर के अंतिम मूल्यांकन में एकलव्य विद्यालय, रामपुर छापर, जबलपुर (म.प्र) को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के उपरांत, कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले विद्यार्थियों को पुरूस्कार प्रदान करने हेतु दिनांक 28 जनवरी 2026 को नई दिल्ली, कार्यक्रम स्थल प्रगति मैदान गणेश मंडपम में आमंत्रित किया गया, जहाँ सुबह कार्यक्रम 11.00 बजे से प्रारम्भ हुआ सभी अतिथिगण के परिचय एवं कार्यक्रम की रूपरेखा के पश्चात् नवोदय विधालय एवं एकलव्य स्कूल से देश में प्रथम स्थान प्राप्त विधार्थियों द्वारा ग्राम सभा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। नवोदय विधालय की श्रेणी में प्रथम स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य के जवाहर नवोदय विधालय उना ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान पर केरल राज्य के कुन्नूर जवाहर नवोदय विधालय, तृतीय स्थान पर जवाहर नवोदय विधालय मणीपुर राज्य का था इसी क्रम में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की श्रेणी में प्रथम स्थान छतीसगढ़ राज्य के कुशामबुड़ा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, द्वितीय स्थान पर उड़िसा राज्य के हिरली एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, तृतीय स्थान पर मध्यप्रदेश राज्य के रामपुर छापर जबलपुर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ने प्राप्त किया। प्रथम पुरस्कार प्राप्त स्कूल को 1 करोड़, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त स्कुल को 75 लाख एवं तृतीय स्थान प्राप्त स्कुल को 50 लाख रूपये की धनराशि का चैक एक मोमेन्टो तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें एसपी सिंह बघेल, विभागीय मंत्री मत्स्य पालन एवं पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार,

अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार, सचिव पंचायतराज मंत्रालय श्री विवेक भारद्वाज, अवर सचिव पंचायत राज मंत्रालय श्री सुरेश कुमार लोहानी, पंचायत राज मंत्रालय मॉडल यूथ ग्रामसभा कर्यक्रम के निदेशक श्री विपुल उज्जवल, श्रीमती पल्लवी जैन कमिश्नर, खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार, NESTS (राष्ट्रीय एजूकेशन सोसायटी फॉर ट्रायबल स्टूडेंटस) के कमिश्नर श्री अजीत श्रीवास्तव अधिकारी एवं प्रतिनिधियों द्वारा उत्तराखंड एवं उत्तरप्रदेश से आये सरपंचो, जनप्रतिनिधि अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष सम्मानित किया गया।

यह उपलब्धि विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक रही है। छात्र–छात्राएँ अपनी सफलता से अभिभूत हैं तथा इसने अन्य विद्यार्थियों को भी सक्रिय सहभागिता एवं नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। मॉडल यूथ ग्राम सभा न केवल विद्यार्थियों को स्थानीय स्वशासन की संरचना एवं कार्यप्रणाली से परिचित कराने में सहायक सिद्ध हुई, बल्कि इसने उन्हें स्थानीय समस्याओं को समझने, उन पर विचार–विमर्श करने तथा समाधान प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। इस प्रकार यह पहल भविष्य के जागरूक, जिम्मेदार एवं सक्षम नेतृत्व के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई है।

अतः यह कहा जा सकता है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, पीटीजी, जबलपुर में आयोजित मॉडल यूथ ग्राम सभा एक अत्यंत सफल, शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायी आयोजन रहा, जिसने विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ किया।

अभिषेक नागवंशी
संकाय सदस्य

बाजार एवं मेला फीस के माध्यम से ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय बढ़ाया जाना

पंचायतों द्वारा करारोपण संवैधानिक अधिकार

आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त पंचायत बनने के लिये पंचायतों को अपनी आय के स्त्रोत बढ़ाने होंगे। संविधान के 73 वें संशोधन में पंचायतों को सशक्त करने एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान किये गये हैं। जिसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 243–ज में कर, शुल्क, पथकर, फीस संग्रह और विनियोजित करने के लिए राज्य का विधान मण्डल द्वारा पंचायतों को प्राधिकृत किया गया है।

मध्यप्रदेश में पंचायतों द्वारा बाजार एवं मेला फीस संग्रहित करने संबंधी प्रावधान

मध्यप्रदेश राज्य में ग्राम पंचायतों को बाजार एवं मेलों की स्थापना करके इससे संबंधित फीस संग्रहित करने का अधिकार दिया गया है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 58 की उपधारा (1) में यह प्रावधान किया गया है कि, ''मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) में यथा उपबंधित के सिवाय, ग्राम पंचायत के अलावा कोई व्यक्ति, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर बाजार या मेले के प्रयोजन के लिए कोई स्थान न तो नियत करेगा, न स्थापित करेगा, और न ही उपयोग करेगा। परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी बाजार या मेले को सार्वजनिक बाजार या सार्वजनिक मेला घोषित कर सकेगी, और इस प्रकार घोषित यथास्थिति सार्वजनिक बाजार या सार्वजनिक मेला जनपद पंचायत में निहित होगा।''

मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर बाजारों तथा मेलों का विनियमन) नियम, 1994 के प्रमुख प्रावधान

मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 58 की उपधारा (2) में प्रावधानित है कि, ''राज्य सरकार, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट बाजार या मेले के विनियमन के लिये नियम बना सकेगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर बाजारों तथा मेलों का विनियमन) नियम, 1994 बनाया गया है। इस नियम के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

बाजारों की स्थापना (नियम–2)

ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर, क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए उपयुक्त स्थानों पर, बाजार या बाजारों की स्थापना कर सकेगी, और उन्हें बनाये रख सकेगी। यह मेलों के लिए क्षेत्र भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

बाजारों की सीमाएँ (नियम–3)

(1) इस प्रकार से स्थापित बाजारों की सीमाएँ और मेलों के लिए विनिर्दिष्ट स्थान, सीमा–पत्थरों द्वारा या ऐसी अन्य रीति में जैसे ग्राम पंचायत उचित समझे, अंकित किए जाएँगे।

(2) सीमाएँ हमेशा सड़क के किसी भी बाजू से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर होंगी और कभी भी सड़क के दोनों बाजू से नहीं होंगी।

(3) ग्राम पंचायत बाजारों और मेलों की सीमाओं में परिवर्तन करने में सक्षम होगी।

बाजार का विस्थापन (नियम–4)

(1) ग्राम पंचायत, किसी बाजार को विस्थापित करने के अपने आशय की घोषणा, आदेश में नियत तारीख से कम से कम 45 दिन पूर्व ग्राम पंचायत के सूचना फलक पर और ग्राम पंचायत की अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्र में सहजदृश्य स्थानों पर सूचना चिपका कर करेगी। प्रत्येक ऐसी घोषणा में विस्थापित किए जाने के लिए आशयित बाजार की सीमाओं को परिभाषित करेगी।

(2) बाजार विस्थापन घोषणा से प्रभावित कोई भी व्यक्ति घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर सरपंच को लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा और ग्राम पंचायत विनिश्चय करने के पूर्व उसकी आक्षेप को विचारार्थ आपत्ति पर विचार करेगी।

(3) आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति की सुनवाई जो जरूरी हो, करने के पश्चात् ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना फलक पर सूचना चिपकाकर, बाजार विस्थापन कर सकेगी।

आवंटित स्थान पर कारबार का किया जाना (नियम–5)

कोई भी व्यक्ति, ग्राम पंचायत द्वारा उसे कारबार करने के प्रयोजन के लिए आवंटित दुकान, कमरा या स्टॉल में या चबूतरे पर, स्थल या किसी स्थान को छोड़कर बाजार में कोई कारबार नहीं करेगा या विक्रय के लिए माल प्रस्तुत नहीं करेगा।

कारबार के घण्टे और दिन (नियम–6)

किसी भी बाजार या मेला क्षेत्र में कोई भी कारबार ग्राम पंचायत द्वारा नियत किये गये घंटो के दौरान तथा दिनों पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

बाजार या मेला फीस लिया जाना (नियम–7)

ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्ति से जो किसी बाजार या मेला क्षेत्र में कोई भी कारबार करने या विक्रय करने के लिए माल प्रस्तुत करने या प्रदर्शन करने की वांछा करता है, ऐसी फीस जैसा कि वह उचित समझे, प्रभारित करेगी।

संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अनुज्ञा (नियम–8)

कोई भी व्यक्ति, जो संक्रामक या स्पर्शजन्य रोग से पीड़ित है, पूर्व में अभिप्राप्त की गई लिखित अनुज्ञा और ऐसी शर्तो की अनुरूपता में जैसी कि ग्राम

पंचायत ऐसी अनुज्ञा देते समय अधिरोपित करे, के सिवाए किसी बाजार या मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

वाहन आदि अधिक समय तक नहीं खड़े रहेंगे (नियम–9)

कोई भी वाहन, बैलगाड़ी या पशु बाजार और मेला क्षेत्र में उतने से अधिक समय तक खड़े रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जितना कि ऐसे वाहन के अंदर जाने और बाहर आने के लिए या बैलगाड़ी या पशु पर लादने या उतारने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो।

बैलगाड़ी, पशुओं या वाहनों के ठहरने के लिए स्थान (नियम–10)

किसी भी बैलगाड़ी या पशु या वाहन को किसी भी ऐसे बाजार या मेला क्षेत्र में, जिसे ऐसे प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित किया जाए, को छोड़कर किसी स्थान में ठहराया नहीं जाएगा।

बाजार तथा मेला अधीक्षक (नियम–11)

ग्राम पंचायत, किसी विशिष्टि बाजार या मेला के लिए ग्राम पंचायत सरपंच, उपसरपंच या किसी पंच को बाजार तथा मेला अधीक्षक के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकेगी।

बाजार अधीक्षक की शक्तियॉ (नियम–12)

(एक) ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित की गई किसी फीस का संदाय करने के किसी व्यक्ति के दायित्व का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उस विवाद का विनिश्चय करना कि वह व्यक्ति किसी वर्ग का व्यापारी है।

(दो) निम्नलिखित किन्हीं व्यक्यिों में से किसी ऐसे व्यक्ति को बाजार से हटाने का आदेश देना

- (क) जो आंतकवादी गतिविधियों, या विच्छृंखल आचरण का दोषी है ;
- (ख) कोई व्यक्ति जो किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित है, नियम 8 में निर्दिष्ट लिखित अनुज्ञा के बिना, बाजार या मेला में प्रवेश करता है ;
- (ग) जो किसी शोध्य फीस या पथकर का, संदाय करने से इंकार करता है ;

(तीन) ग्राम पंचायत के आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, दुकानों का या स्टालों के निर्माण के लिए स्थान आवंटित करना।

(चार) किसी व्यवसायी को, मानवीय उपयोग के लिए अयोग्य किसी खाद्य या पेय वस्तु को बाजार से हटाने के लिीए कहना ;

(पॉच) बाजार या मेला क्षेत्र में व्यवस्था बनाये रखना और उसे स्वच्छ दशा में रखना ;

(छः) व्यापारियों को, उनकी विशिष्ट वस्तुओं के विक्रय के लिए पृथक रखे गए स्थानीय क्षेत्र में निर्बन्धित रखना ;

(सात) खोटे या त्रुटिपूर्ण मापने वाले उपकरणों या बॉटों या मापों को उपयोग में लाने वाले किसी व्यापारी को बाजार या मेला से हट जाने के लिए कहना ;

(आठ) इन नियमों में से किसी भी नियम के भंग के सम्बन्ध में शिकायत करना तथा प्रारम्भिक कार्यवाही करना ;

(2) ग्राम पंचायत, स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित पक्षकार के आवेदन पर, बाजार और मेला अधीक्षक के किसी आदेश या निर्देश को उपांतरित या पुनरीक्षित कर सकेगी।

बाजार के क्षेत्रों में विभाजित करने की शक्ति (नियम–13)

ग्राम पंचायत या सहकारिता और उद्योग से सम्बन्धित स्थायी समिति, किसी बाजार को क्षेत्रों में विभाजित कर सकेगी और विशिष्ट क्षेत्रों में, विशिष्ट वस्तुओं का विक्रय प्रतिबन्धित कर सकेगी। कोई व्यापारी, जो किसी विशिष्ट माल (वस्तु) का विक्रय करा रहा हो, जबकि ऐसा निर्बन्धन किया गया है, किसी ऐसे क्षेत्र में विक्रय के प्रयोजन के लिए नहीं जाएगा जो उस वस्तु के लिए पृथक रखा है।

शास्ति (नियम–14)

कोई भी व्यक्ति :–

(क) जो, जब नियम 12 (बाजार अधीक्षक की शक्तियॉ) के अधीन उसे स्वयं को हटाने का आदेश दिया गया है, ऐसा करने से इंकार करता है ;

(ख) जो, जब उसे नियम 12 (बाजार अधीक्षक की शक्तियॉ) के अधीन ऐसा करने के लिए आदेश दिया जाता है, बाजार या मेले से मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त वस्तु या खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ या पेय इकाई को नहीं हटाता है ;

(ग) जो कतिपय वस्तुओं के लिए उसके व्यवसाय को, ऐसी वस्तुओं के विक्रय के लिए पृथक् से रखे गए क्षेत्र में, सीमित रखने से इंकार करता है ;

(घ) जो, बाजार या मेला अधीक्षक द्वारा, अपनी शक्तियों के प्रयोग करते हुए बाजार या मेला क्षेत्र में व्यवस्था बनाए राने के लिए या इसे स्वच्छ दशा में रखने के लिए पारित किए गए किसी समुचित आदेश का पालन करने से इंकार करता है, ऐसे जुर्माने से, जो पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

नियम 4, 6, 8 तथा 9 का भंग (नियम–15)

नियम 4, 6, 8 तथा 9 का भंग जुर्माने से, जो पचास रूपये तक का हो सकेगा तथा निरन्तर भंग होने की दशा में, प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान भंग चालू रहता है, जुर्माने से जो रूपये पॉच तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

सार्वजनिक बाजार या सार्वजनिक मेले का विनियमन (नियम–16)

ये नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 58 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन घोषित सार्वजनिक बाजार या सार्वजनिक मेला को भी लागू होंगे और जनपद पंचायत में निहित होंगे।

इस प्रकार से ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के भीतर बाजार एवं मेलों की स्थापना एवं प्रबंधन कर बाजार एवं मेला फीस वसूल कर सकतीं हैं। इससे ग्राम पंचायतें अपनी आय के स्त्रोत विकसित कर आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

डॉ. संजय राजपूत,
संकाय सदस्य

आजीविका मिशन से बदलती गांवो की तस्वीर

आत्मनिर्भर एवं विकसित मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करती हुई आजीविका मिशन की स्व–सहायता समूह की महिलाओं के समृद्धि से सशक्तता की और बढ़ते कदम स्व सहायता समूह एवं गौशालाएं बनेंगी आत्मनिर्भर सहाजा महिला सशजत मध्यप्रदेश की अवधारणा एवं विकसित के सकरन को साकार करने के लिये केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सामाजिक एवं विक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरन्तर अनेकों अभिनव पहल की जा रही है। इसी क्रम में म.प्र के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत गुना द्वारा कलेक्टर पी किशोर कुमार कान्याल एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत थी अभिषेक दुबे के मार्गदर्शन में गुना जिले के स्व सहायक समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से निरंतर विभिन्न वाधान किये जा रहे हैं।

इसी क्रम में स्व सहायता समूहों को नवीन आजीविका गतिविधि से जोड़ने के उददेश्य से एप गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु गुना जिले के समस्त विकासखण्डों में संचालित 43 शासकीय गौशालाओं में संलग्न स्वसहायता समूहों के माध्यम से गौविष्ठा से बने उत्पादों के निर्माण हेतु स्व सहायता समूहों को आरसेटी एवं सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र गुना के माध्यम से स्वरोजगार एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अभी तक जिले की 20 गौशालाओं को चयनित कर गौशालाओं में सलग्न 75 स्व सहायता समूहों की दीदीयों को ०२ बैस में प्रशिक्षण प्रदाय किया जा चुका है।

गुना विकासखण्ड के ग्राम पंचायत मावन की शासकीय गौशाला में प्रशिक्षण के दौरान स्व सहायता समूहों की दीदीयों द्वारा बहुतच एवं उत्साह के साथ प्रतिभाग कर मोवर एवं अन्य सहायक सामग्री से निर्मित उत्पाद जैसे दीपक गणेश प्रतिमा शकन जी की प्रतिमा लक्ष्मी जी की प्रतिमा पूजा एवं हवन के कड़े सजावट की अन्य सामग्री शुभ–लाम बील हगि आदि बनाने का सफल प्रक्षिण दिया गया है। प्रशिक्षण पूर्ण कर स्व सहायता समूह की दीदीया आजीविका गतिविधि के रूप में सभी उत्पादों का निर्माण एवं विक्रय कर रही है।

उपलब्धि–

गौशालाओं में समूह सदस्यों द्वारा बनाये जाने वाले गौविष्ठा उत्पाद में एन्टीरेडिएशन, रोगाणू नाशक, पर्यावरण के अनुकूल सकारात्मक उर्जा एवं शांतिपूर्ण वातावरण के गुण पाये जाते हैं।

इस कार्य से जहां एक और महिलाओं को निरंतर सम्मानजनक एवं स्थायी रोजगार उपलब्ध हो रहा है वहीं दूसरी ओर अपने उत्पादों की उचित कीमत प्राप्त होने वाली आमदनी से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर आत्मनिर्भर हो रही है।

इस कार्य से लाभावित होकर स्व सहायता समूह की दीदीयां एक ओर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की परिकल्पना एवं विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को साकार कर वोकल फोर लोकल की अवधारणा को मूर्त रूप दे रही है वहीं दूसरी ओर स्वय आर्थिक रूप से सशक्त एवं समृद्ध हो रही है।

उक्त आजीविका गतिविधि का माननीय केन्द्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी. माननीय प्रभारी मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, कलेक्टर महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जिला पंचायत एवं अन्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी समय–समय पर भ्रमण कर महिलाओं से चर्चा की जाती है एवं महिलाओं के द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की गई एवं उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उनके उत्पादों का प्रचार–प्रसार कर ब्राण्डिंग किया गया।

चुनौतिया एवं उन पर विजय प्राप्त करने में अपनाई गई प्रकिया

गोबर से निर्मित उत्पाद बनाने के लिये स्व–सहायता समूह कि महिलाओ को मुश्किल से तैयार किया गया और बरसात के माह में गोबर को सुखाने मे काफी परेशानियो का सामना करना पड़ा लेकिन निरंतर प्रयास के माध्यम से सफलता हासिल की गई और बाद में गोबर से निर्मित उत्पाद तैयार करने के बाद ब्रिकी करने की समस्या का सामना करना पड़ा लेकिन शासन के प्रयासो से प्रेरित होकर शासकीय मेलो, हाट बाजार, संगोष्ठी एवं आनलाईन प्लेटफार्म (अमेजन/फिल्फकार्ड/मीशो) पर प्रचार–प्रसार के माध्यम से उत्पाद ब्रिकय करने में आसानी हुई।

सुशील कुमार भार्गव,
क्षमतावर्धन सलाहकार,
(SoEPR-NIRDPR)

ग्राम पंचायत है पर्यावरण की पाठशाला

सेवानिवृत्त शिक्षक श्री विजय सिंह राजपूत अब तक स्वयं और ग्राम के लोगों की मदद से करीब1000 पौधे ट्री गार्ड के साथ लगवा चुके है।

सिवनी मालवा तहसील जिला नर्मदापुरम पूर्व में जिसे होशंगाबाद जिले के नाम से जाना जाता था ग्राम पंचायत धामनिया सिवनी से हरदा रोड पर स्थित है। रोड के बायीं और ग्राम धमनिया तक एक से डेढ़ किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के दोनों और जहां से नर्मदा परिक्रमावासी भी गुजरते हैं। बड़े–बड़े आम नीम गुलमोहर आदि के वृक्ष ट्री गार्ड एवं शिक्षाप्रद पेड़ों के बचाने संबंधी स्लोगन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नारे लिखे है। ट्री गार्ड पर लगी हुई टीन की प्लेट व छायादार वृक्ष के तले लगी हुई लंबी सीमेंट एवं लोहे की आरामदायक कुर्सियां जिस पर किसी बुजुर्ग के देहावसान की स्मृति में दिए जाने का उल्लेख है। अंकित है बरबस मनमोह लेते है।

ग्राम के सेवानिवृत शिक्षक श्री विजय सिंह राजपूत जी ने बताया कि उन्हें यह प्रेरणा 9 वर्ष पूर्व मिली। उन्होंने देखा कि ग्रामीण पेड़ लगाने के बाद पेड़ों को बास की परंपरागत पिंचियो को आस–पास बांध देते थे जो कुछ दिन बाद राहगीर निकालकर उपयोग कर लेते या पशु उनको तोड़ देते थे। लगे हुए पेड़ों की तुलना में इक्का–दुक्का पेड़ ही बच पाते थे प्रारंभ में उन्होंने 200रू. से लेकर 1200रू. तक ट्रीगार्ड को स्वयं की पेंशन राशि एवं ग्रामीणों की मदद से पेड़ों की सुरक्षा हेतु बनबाए। बाद में 20 रु. से लेकर 300 रू.तक के परिपक्व पौधे नर्सरी से खरीद कर ग्राम के बच्चों महिलाओं एवं युवाओं की मदद से लगवाएं। शिक्षक व ग्राम के लोगों का पर्यावरण प्रेम देखते ही बनता है, शिक्षक श्री राजपूत का कहना है कि यह रोड नहीं बल्कि "पर्यावरण की पाठशाला" है पिछले तीन–चार सालों में इस सराहनीय कार्य को देखने जिले के कलेक्टर, सांसद, विधायक, आसपास के वरिष्ठ नागरिक एवं स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे कार्य को देखने आए।

उन्होंने अपने–अपने क्षेत्र में इस तरह के पर्यावरण संरक्षण के कार्य को करने का प्रण लिया है। यहां पर हर पेड़ उन्हें लगाने वालों की उनके द्वारा की गई परवरिश की गवाही दे रहा है।

शिक्षक श्री राजपूत जी बताते हैं कि 8 साल पहले 2015 में पीपल, लक्ष्मी तरु, नीम, आम, इमली, गुलमोहर सहित 30 किस्म के पौधे लगाए थे। जो पेड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। गांव में आने वाले धूप से बचते हैं और ताजी शुद्ध हवा लेते हैं खास बात यह है कि इनमें लगे ट्री गार्ड पर लिखे स्लोगन जैसे

''धामनिया गांव का यह, संदेश हरा–भरा हो मध्य प्रदेश'' 'सांस हो रही है कम आओ पेड़ लगे हम' ऐसे पचासों स्लोगन को टीन की प्लेट पर बड़ी खूबसूरती से अंकित किया गया है।

श्री राजपूत जी स्लोगन की एक पुस्तक भी प्रकाशित कर चुके है। युवाओं को एवं महिलाओं को जनप्रतिनिधियों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके चलते जन सहयोग से आज सभी पौधे पर ट्रीगार्ड लगे हैं। और बैठने के लिए बेंच लगी है। ग्राम के युवा जो वर्तमान में जनपद पंचायत में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है श्री चौन सिंह लोबंसी, ग्राम रोजगार सहायकए श्री सत्यनारायण लोवंशी, सचिव श्री अर्जुन पवार ,सरपंच श्रीमती राजपूत का पर्यावरण संरक्षण में व गांव को स्वच्छ बनाने में विशेष सहयोग रहता है। शिक्षक श्री विजय सिंह जी एवं ग्राम सभा के समस्त सदस्य की शासन से यह अपेक्षा है, उक्त पर्यावरण संरक्षण के कार्य हेतु जैसे पेड़ों की सुरक्षा बेंच ट्रीगार्ड पानी देने की व्यवस्था आदि हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कोई एक विशेष कोष की व्यवस्था की जाए। ताकि स्वचालित रूप से हमेशा के लिए संरक्षण का कार्य हो सके। ग्राम पंचायत धामनिया की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहां पर सरपंच समस्त पंच एवं क्षेत्र कि जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष यहां तक की पंचायत की समन्वय अधिकारी, जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी महिला है। वह दिन दूर नहीं जब जिले के साथ–साथ मध्य प्रदेश की भी एक आदर्श महिला हितेषी पंचायत के रूप में धामनिया का नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा।

राजकुमार मालवीय
क्षमतावर्धन सलाहकार,
(SoEPR-NIRDPR)

प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना बेहतर क्रियान्वयन की अनुकरणीय पहल

केंद्र एवं राज्य सरकारों का धेय्य कमजोर एवं वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ना हमेशा प्राथमिकता में रहा है। इन प्राथमिकताओं में भी सरकार के समक्ष कमजोर आदिवासी जनजातीय वर्ग का उत्थान सबसे प्रमुख रहा है। इन्ही उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सरकार कई योजनाओं का क्रियान्वयन आजादी के बाद से करते आ रही है । किन्तु अभी भी आदिवासी जनजातीय वर्ग समाज की मुख्य धारा से दूर है। इस दूरी को कम करने के लिए शासकीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन एक मात्र समाधान सिद्ध होगा। हर योजनाओं के लिए बेहतर क्रियान्वयन के लिए हर स्तर पर स्थानीय निकायों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जिससे यह वर्ग लाभान्वित हो सके।

उक्त बातों को सार्थक सिद्ध करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत छिन्दवाड़ा द्वारा जिले के दुरस्थय ग्रामों एवं वनांचलों में निवासरत आदिवासियों के कल्याण कें लिये कई चुनौतियों को स्वीकार कर कार्य किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ''प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना'' है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले में केवल दो बर्ष से भी कम अवधि में लक्ष्य पूर्णतः की ओर है। यह लक्ष्य पूर्ण करने में जिले के चयनित ''भारिया'' जनजातियों के निवासरत दुर्गम ग्राम, वनांचल एवं भौगोलिक स्तिथि बड़ी चुनौती रही है। वहीँ सबसे कमजोर "भारिया" जनजाति की कम साक्षरता भी चुनौती रही है। इन चुनौतियों को स्वीकार कर दो बर्ष से भी कम समय में छिन्दवाड़ा जिले में ''प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना'' का लक्ष्य लगभग 98.5प्रतिशत पूर्ण हो गया है।

प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना एक परिचय :

"प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान" भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर आदिवासी जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक–आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। यह योजना 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। इस योजना के लिए देश के 18 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदाय और आदिम जनजातियाँ पात्र हैं। इस योजना के माध्यम से आदिवासी समाज के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पोषण, दूरसंचार, आवास, कनेक्टिविटी के साथ रोजगार के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है । इस महा अभियान के तहत "प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना'' के अंतर्गत पात्र गरीब जनजातीय समूहों के परिवारों के लिए पक्के मकान बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.) कौन हैं?

वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (च्टज्ळ) को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया, जिसमें घटती या स्थिर आबादी, पूर्व–कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग, आर्थिक पिछड़ेपन और कम साक्षरता

वाले जनजातीय समुदायों को शामिल किया गया। भारत में 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 75 च्टज्ळ समुदाय रहते हैं। मध्य प्रदेश में भारिया , बैगा एवं साहरिया जनजातियो को इस समूह में चिन्हित किया गया है।

जिला / प्रदेश	लक्ष्य	स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत
छिन्दवाड़ा	5802	5802	5715	98.5
मध्य प्रदेश	183926	183926	123331	67.1

छिंदवाडा जिले में जनजाति परिवारों की स्तिथि रू जिले के "भारिया" जनजाति के निवासरत क्षेत्रों के कई परिवारों में योजना से पूर्व कच्चे एवं घास पूस के मकान थे। बारिश के दिनों में छतों से पानी टपकता था वही कच्ची मिट्टी की बनी दीवारे गिरती थी। दिवार गिरने से कई दुर्घटनाएँ भी हुई है जिनमे लोग घायल भी हुए है, चोटिल हुए है। जिले में सबसे अधिक तामिया, हर्रई एवं अमरवाडा ब्लॉक में इन जनजातीय की संख्या है। इनमे से अधिकांश परिवार पातालकोट एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते है।

लक्ष्य : शासन द्वारा प्रत्येक पात्र कमजोर आदिवासी जनजातीय परिवारों को लाभ देंने के उद्देश्य से प्राप्त डेटा एवं स्थानीय स्तर के डेटा संकलन के बाद ग्राम , ग्राम पंचायत , ब्लॉक , जिला एवं राज्य स्तर पर लक्ष्य तय किया गया है । तय लक्ष्य अनुसार "प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना" प्रारंभ से अक्टूबर 2025 तक लक्ष्य पूर्ण की स्तिथि निम्नानुसार है ।

लक्ष्य प्राप्ति में चुनौतियाँ :

- **पात्र हितग्राहीयों की आवास निर्माण में नहीं थी रूचि** : पात्र "भारिया" जनजातियों में अधिकांश परिवारों में आवास निर्माण में रूचि नहीं ली जा रही थी तथा आवास बनाना प्रारम्भ नहीं कर रहे थे।
- **बिचौलियो एवं ठेकेदारों** : कमजोर एवं साधारण बिचौलियो एवं ठेकेदारों की सक्रियता के कारण हितग्राहियों को आवास सामग्री के परिवहन में आने वाले व्यय, मजदूरी में न जाने के कारण मजदूरी के नुकसान की भरपाई कराई गई । इसके अलावा सामग्री के नाम पर विक्रेताओं बिचौलियो एवं ठेकेदारों द्वारा हितग्राहियों से राशि ठगी एवं समय पर सामग्री उपलब्ध न कराने जैसी समस्याओं को निराकरण किया गया ।
- **भौगोलिक दुर्गमता एवं पहुचविहीन क्षेत्र** : कई आदिवासी गांव जिला मुख्यालय से 100 से 125 कि.मी. दूर दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं, जिसके कारण इन गांवों तक पहुंचना मुश्किल है। साथ ही कई गांवों में पहाड़ी एवं खेतों में दूर दूर बसहाट होने से निर्माण सामग्री पहुँचाने में कठिनाइयों का सामना करना पडा है।
- **आदिवासी समुदायों में जागरूकता की कमी** : कई आदिवासी समुदायों में योजना के बारे में जागरूकता की कमी है। इससे भी कार्य प्रारंभ करने में कुछ देरी हुई है।
- **कम साक्षरता** : आदिवासी परिवारों में साक्षरता कम होने से योजना के लाभ लेने की प्रकिया जटिल समझा जाता है। इसलिए जिस परिस्तिथी में है उसे स्वीकार कर कच्चे, कमजोर एवं घास–पूस के घरों में ही रहने की मंशा व्यक्त करते है। अर्थात "जैसे है बैसे हम ठीक है" हमें कुछ नहीं करना है।
- **संचार माध्यमों का भी आभाव** : कई आदिवासी गांव दुर्गम, पहाड़ी एवं जंगलों में स्थित होने के कारण मोबाइल नेटवर्क नहीं है या कम मिलता है। संचार पूरी तरह नहीं होना भी बड़ी चुनौती रही है।
- **निर्माण सामग्री की अधिक कीमत** : जिलेध्ब्लॉकध्शहरों से अधिक दूरी के कारण और इन जनजातियों के निवासरत स्थान तक स्थानीय बाजार से दूरी अधिक होने के कारण स्थानीय सामग्री विक्रेताओ के द्वारा

परिवहन की लागत में वृध्दि कर मंहगे दर पर एंव निम्न गुणवत्ता की सामग्री हितग्राहियो को प्रदाय की जा रही थी ।

लक्ष्य प्राप्ति में जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत की भूमिका

1. **व्हाट्सएप्प ग्रुप से प्रतिदिन रिपोर्टिंग :**

रिपोर्टिंग के लिए व्हाट्स एप्प ग्रुप बनाया गया है। प्रति दिन सी.ई.ओ. जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में जनमन आवास के आवास पूर्ण एवं किस्त जारी की जानकारी ग्रुप में देते है। जिस ग्राम एवं ग्राम पंचायतों में प्रगति कम या संतोष जनक नहीं होती है उसे कलेक्ट्रर एवं सी.ई.ओ. जिला पंचायत द्वारा प्रगति बढ़ने का निर्देश देते है। साथ है वल्क मटेरियल की प्रगति क्या है कितने आवासों के हितग्राहियो को मटेरिल किस रेट पर दिया गया इसकी जानकारी गूगल शीट में माध्यम से ली जाती है।

2. **जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समीक्षा बैठक :**

विकासखण्ड स्तर में कलस्टर प्रभारी, पीसीओ. सप्ताह मे एक दिन शनिवार को ग्राम पंचायत के सचिव एवं जीआरएस की समीक्षा बैठक विकास–खण्ड स्तर पर की जाती हैं। बैठक मे प्रति दिन आवास निर्माण में आ रही समस्या एवं एक–एक आवासों के बारे में क्लस्टर प्रभारी एवं संबधित सचिव से चर्चा कर समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा से मालूम होता है कि कौन सा आवास कब पूर्ण होगा, कौन सी किस्त लंबित है या कोई समस्या है उसका समाधान सामूहिक रूप से निकाला जाता है।

ग्राम एवं ग्राम पंचयत स्तर पर कलस्टर प्रभारी, पीसीओ. एडीओ, इंजीनियर्स एवं विकास खण्ड स्तर के अधिकारी द्वारा उनके प्रत्येक भ्रमण के दौरांत बैठक रखी जाती है। ग्राम में आयोजित बैठकों में एक–एक हितग्राही से बात की जाती है हितग्राहियों से आवास निर्माण क्यों पूर्ण नहीं हो रहा है, क्या समस्या है, की जानकारी ली जाती थी तथा उसका निराकण किया जाता है। इस तरह हितग्राही से लेकर जिले एवं ब्लॉक के अधिकारी नियमित स्तिथि से अवगत होते रहे और आ रही समस्याओं का समाधान निकाला गया परिणाम स्वरूप कार्य तेज गति से पूर्ण हुए।

3. **बल्क में सामाग्री क्रय की बनाई योजना :**

अधिकांश परिवारों में आवास निर्माण में रूचि नहीं होने एवं कई समस्यायों के साथ विपरीत परिस्थियां निर्मित हो रही थी। इस स्तिथि को देखते हुए कलेक्टर महोदय एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला

पंचायत द्वारा उक्त स्थिति को संज्ञान लिया गया। इसके बाद हितग्राहियों एवं स्थानीय सामग्री विक्रेताओ की सामूहिक बैठक की योजना बनाई गई । योजना अनुसार सस्ते दर पर उच्च गुणवत्ता की आवास निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु चर्चा की गई तथा सहमति ली गई। मांग अनुसार आवास सामग्री जैसे सीमेंट , लोहा ,गिटटी सेंट्रिंग एंव ईट आदि स्थल में पर बल्क (ठनसा) में सामग्री उपलब्ध कराई गई। इससे स्थानीय बाजार दर से 5 रूपये से लेकर 55 रूपये तक प्रति किलो ध्नग की कम दर पर सामग्री हितग्राहियो को

प्राप्त हुई साथ ही हितग्राहियों को कम दर पर उच्च गुणवत्ता की आवास सामग्री प्राप्त होने से आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कर 2 माह के कम समय में 1052 आवास पूर्ण कराये गये। इसके अलावा संबधित हितग्राहियो को अनावश्यक परिवहन एवं होने वाले अन्य व्यय को कम कर प्रत्येक हितग्राहियो को लगभग 9 से 10 हजार रूपए तक की बचत भी कराई गई।

'हलमा' प्रथा – प्रणाली की तरह आपसी सहयोग :

जनजाति पडोसी, ग्रामीणों एवं रिश्तेदारों ने 'हलमा प्रथाध्प्रणाली' की तरह एक–दूसरे के निर्माणाधीन मकान के कार्य में की आपसी सहयोग किया है। हलमा एक पारंपरिक आदिवासी प्रथा है जिसमें गांव या समुदाय के सभी लोग एक व्यक्ति, परिवार, या सामुदायिक कार्य में सहयोग करने के लिए बिना किसी पारिश्रमिक के एकत्रित होते हैं। यह प्रथाध्प्रणाली "साझा श्रम दृ साझा हित" की अवधारणा पर आधारित है। जिले के आधिकांश क्षेत्रों में इस प्रथा का उदाहरण हितग्राहियों के निर्माणाधीन मकान के कार्य में प्रारंभ से लेकर कार्य पूर्ण होते तक देखने में आया है। कई जनजातीय परिवारों ने रिश्तेदार मिस्त्रीयों से अपने घर बुलाकर निर्माण कार्य करवाया है। वही दूसरे परिवार में जाकर बिना पारिश्रमिक के कार्य किया है। ठीक इसी तरह जनजाति पडोसी एवं ग्रामीणों ने किया है, निर्माणाधीन मकान के कार्य में भी एक–दूसरे को सहयोग दिया है। इस तरह के सहयोग से मकान बनाने में श्रम लागत कम आई एवं बेहतर गुणवत्ता के आवास बने है। साथ ही मकान के कार्य तेजी से हुए है।

लक्ष्य पूर्णतरू की ओर ले जाने में जनजातियों का यह 'हलमा' आपसी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इससे जिनको मकान बनाने में रूचि नहीं थी, बनाने के लिए मना कर रहे थे वह भी इस तरह के आपसी सहयोग से प्रेरित होकर मकान बनाने के लिए राजी हुए है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना का सफल क्रियान्वयन ग्रामीण भारत में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह न केवल "सबका साथ, सबका विकास" की भावना को साकार करता है बल्कि आत्मनिर्भर और सम्मान जनक जीवन की ओर एक बड़ा कदम है।

यह लक्ष्य पूर्ण करने में जिले के चयनित ''भारिया'' जनजातियों के निवासरत दुर्गम ग्राम, वनांचल एवं भौगोलिक स्तिथि बड़ी चुनौती रही है। वहीँ सबसे कमजोर "भारिया" जनजाति की कम साक्षरता भी चुनौती रही है। इन चुनौतियों को स्वीकार कर दो बर्ष से भी कम समय में छिन्दवाड़ा जिले में ''प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना'' का लक्ष्य लगभग 98.5 प्रतिशत पूर्ण हो गया है।

जयप्रकाश सूर्यवंशी
क्षमतावर्धन सलाहकार,
(SoEPR-NIRDPR)

बर्तन निर्माण से हुई आय में वृद्धि

विकासखण्ड राजनगर अंतर्गत ग्राम बसाटा में देवीस्व सहायता समूह गठित है इस समूह की सदस्य श्रीमति भुवानी बाई राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुडी हुई हैं मिशन के दौरान श्रीमति भुवानी बाई की आजीविका का साधन नही था संकुल चंद्रनगर अंतर्गत ग्राम बसाटा के समूह देवी अंतर्गत उक्त सदस्यों द्वारा पारंपरिक तरीके से प्राप्त वांसों से वांस के वर्तन वनाने का कार्य किया जाता था।

सदस्यों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उनके पास पर्याप्त समय होते हुये पर्याप्त वांस न होने से वे अपनी वांस वर्तन बनाने का कार्य अपने हिसाब से नही कर पाते थे एवं उन्हें 500 से 600 रूपये प्रतिमाह की आमदनी होती थी उनकी सबसे वडी समस्या वांस खरीदने हेतु राशि उपलब्ध न होना था उन्हें 15000/– प्रारंभिक ऋण एवं 118000/– आजीविका ऋण प्रदाय किया गया जिससे उन्होंने पर्याप्त वांस खरीदकर अधिक वांस वर्तन बनाने का कार्य प्रारंभ किया जिससे उन्हें लगभग 15000–20000/– प्रतिमाह की आय होने लगी तथा उनके द्वारा बनाये गये वर्तनों की प्रशंसा होती है तथा शादी आदि में उनके द्वारा बनाये गये बर्तन ही खरीदे जाते है जिससे उनके रहन – सहन एवं सामाजिक जीवन स्तर में सुधार आया ।

परिवार की स्थिति अब सुधर गइ और दीदी अब काफी अच्छा जीवनयापन कर रही है ।

झनक सिंह कुहकुटे,
संकाय सदस्य

सहायक नदियां.....

नदियों की धारा के संग बढ़ती गई सभ्यताएं अनेक,
बड़ी नदी तो कामधेनु है सहायक नदियां रही विशेष।
केन बेतवा,तवा शिप्रा, सोन ताप्ती, शिवना और दुधी,
इनके ही आंगन रहता हृदय देश का मनुज सुखी।
इनने ही सब सींचें है गांव खेत खलियानों को,
भूपतियों के वैभव को और ऋषि मुनि विज्ञानों को।
इनका ही जल भोग जगत में मनुज बडा बलवान बना,
इनकी ही संपदा लेकर जगत बहुत धनवान बना।
सदी इक्कीसवीं आई तब मनुज हुआ बदला बदला,
लेने को सब आते हैं सेवा मिलती है यदा कदा।
लूट रहे मुझसे मेरा वैभव बना रहे कंक्रीट का जंगल,
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कोई न करता मेरा मंगल।
नदी सैकड़ों बहनों ने हृदय देश को खूब दिया,
बड़ी बहिन नर्मदा को खूब खूब सहयोग किया।
अब हम ही खाली हाथ है दिव्य संपदा नहीं साथ है,
जिसके बल हम बहते हैं जीव सजीव अब नहीं साथ हैं।
मेरा अस्तित्व मिटा तो देखो तुम भी नहीं बचोगे,
दर दर पानी को तरसोगे या तुम डूब मरोगे।
हे मनुष्य अब रहने दो मुझे फिर कल कल बहने दो,
छोड़ दो कुछ वर्षों तक मुझे पुर्ननिर्माण करने दो।
यही नदी की गाथा है यही गंगापुत्र की अभिलाषा है,
बेटा बनकर रहो सर्वदा नहीं अंत परिभाषा है।

सुशील कुमार भार्गव,
क्षमतावर्धन सलाहकार,
(SoEPR-NIRDPR)

मुर्गीपालन से हुई आय में वृद्धि

विकासखण्ड राजनगर अंतर्गत ग्राम बमारी में बजरेग स्व सहायता समूह गठित है इस समूह की बैंक हस्ताक्षरकर्ता/ अध्यक्ष श्रीमति दीपा रजक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुडी हुई हैं मिशन के दौरान दीपा रजक द्वारा एक मुर्गी सेड बनबाया गया था जिसमें मात्र 200 चूजे ही पाले जा सकते थे उक्त मुर्गी पालन से श्रीमति दीपा रजक को 30 दिन में मात्र 1600 रूपये की आमदनी होती थी जबकि उन्हें काफी समय इस कार्य को देना पडता था ।

अतः श्रीमति दीपा रजक ने मिशन में ग्राम संगठन से 10000/– ऋण के रूप में लिया एवं लगभग 20000/– स्वयं के मिलाकर 01 नये सेड का निर्माण कराया तथा इनसे प्राप्त हुई आमदनी से 02 अन्य सेड बनबाये अब दीपा रजक लगभग 2000 चूजे पालनें लगी है तथा स्वयं छतरपुर से थोक में दाना दवा व चूजे क्रय करतीं है।

जिससे मुर्गो की विक्री से उनकी आय लगभग 16000/माह हो गयी है ।

सौरभ खरे,
थीमेटिक एक्सपर्ट